

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (3) सा.प्र./गुप-4/11

जयपुर, दिनांक 24/8/11

मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- तृतीय एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित तृतीय एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 2.44 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख चवालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	गा/13, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नवीनीकरण 2. किचन नवीनीकरण 3. रिप्लेसमेंट ऑफ दिन्डोज	0.25 0.20 0.03	0.48
2.	ई-742, गांधीनगर, जयपुर	1. पी/एफ कार शेड 2. पी/एफ रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0.22 0.13	0.35
3.	ए ब्लॉक, ओल्ड एमआरईसी गांधीनगर, जयपुर	1. किचन फ्लोरिंग एण्ड रिनोवेशन 2. किचन कैबिनेट वूड वर्क	0.36 0.12	0.48
4.	गा/9, गांधीनगर, जयपुर	1. पी/एफ एसी शीट शेड 2. रिप्लेसमेंट ऑफ वूडन डोर्स 3. टॉयलेट नवीनीकरण	0.22 0.04 0.20	0.46
5.	गा/12, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नवीनीकरण 2. किचन नवीनीकरण	0.20 0.20	0.40
6.	ई-8, गांधीनगर, जयपुर	1. बाउण्डरी वाल निर्माण	0.27	0.27
		कुल योग		2.44

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम एवं चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिषाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. अधिषाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-गा, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./ग्रुप-4/11  
मुख्य अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)  
राजस्थान, जयपुर ।

जयपुर, दिनांक; 24/8/2011

विषय:- चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रू. 2.65 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख पैसठ हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	एफ-190, गांधीनगर,जयपुर	1. टाईल फ्लोरिंग वर्क	0.36	0.36
2.	एफ-426, गांधीनगर,जयपुर	1. कार एसी शेड 2. मेन गेट विथ फाइबर शीट 3. रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग 4. रिफ्लेसमेन्ट ऑफ डोरस एण्ड सेक्शन विण्डोज	0.20 0.11 0.06 0.10	0.47
3.	एफ-142, गांधीनगर,जयपुर	1. एसी शेड 2. रिफ्लेसमेन्ट ऑफ विण्डोज 3. टॉयलेट एण्ड किचन नवीनीकरण	0.20 0.12 0.15	0.47
4.	एफ-977, गांधीनगर,जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथरूम नवीनीकरण 3. पी/एफ स्टील गेट 4. पी/एफ मेट टाईल्स	0.15 0.15 0.03 0.12	0.45
5.	एफ-481, गांधीनगर,जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथरूम नवीनीकरण 3. टाईल फ्लोरिंग वर्क 4. पी/एफ रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0.15 0.15 0.12 0.05	0.47
6.	एफ-141, गांधीनगर,जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. टॉयलेट नवीनीकरण 3. गेट बदलने का कार्य 4. कमरों में टाईल वर्क	0.15 0.10 0.08 0.10	0.43
		योग		2.65

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।


भवदीय

Sd/

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिषाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर।
5. अधिषाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव (क)